

राज्य मंत्रपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदरि नीति 2022 का अनुमोदन किया

चर्चा में क्यों?

18 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रपरिषद ने समग्र आबकारी नीति 2022-23 और हेरीटेज मदरि नीति 2022 को अनुमोदन दे दिया है। इससे गैर-कानूनी एवं अमानक शराब निर्माण, परिवहन, भंडारण और विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा।

प्रमुख बिंदु

- नई आबकारी व्यवस्था के तहत नमिनलखिति उपबंध किये गए हैं-
 - मदरि की फुटकर विक्रय दरों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी लाकर व्यावहारिक स्तर पर लाया जा सकेगा।
 - सभी जिलों की देशी/वदेशी मदरि दुकानों का नमिपादन छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जा सकेगा।
 - समस्त मदरि दुकानें कंपोजिट शॉप होंगी, जिससे अवैध मदरि विक्रय की स्थितियाँ नहीं बनेंगी।
 - कलेक्टर एवं जिलों के वधायकगण की उच्चस्तरीय जिला समिति को उनके जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मदरि दुकानों के अनुरूप भौगोलिक दृष्टि से स्थान परिवर्तन का अधिकार होगा।
 - प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में बनी वाइन पर ड्यूटी नहीं होगी।
 - देशी मदरि प्रदाय व्यवस्था में प्रदेश के असवकों के मध्य जलिवार नविदि बुलाई जा सकेगी। इस साल टेद्रा पैकगि की दर भी बुलाई जा सकेगी।
 - राजस्व की क्षति रोकने के लिये ई-आबकारी व्यवस्था लागू होगी। इसमें मदरि का ट्रैक एंड ट्रेस, क्यूआर कोड स्कैनगि, वैधता का परीक्षण आसान होगा।
- हेरिटिज मदरि नीति के तहत नमिनलखिति उपबंध किये गए हैं-
 - महुआ फूल से बनी मदरि की पायलट परियोजना की अनुमति दी गई है। इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की उप समितिके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
 - वर्ष 2022-23 में नए बार लाइसेंस की स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कलेक्टर स्तर से ही की जाएगी।
 - पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थलों पर इको टूरजिम बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों, पर्यटन विकास नगिम की अस्थाई स्वरूप की इकाइयों को रणियती दरों, सरल प्रक्रियाओं/मापदंडों के आधार पर बार लाइसेंस दिये जा सकेंगे।
 - सभी एयरपोर्ट पर वदेशी मदरि विक्रय काउंटर खोला जा सकेगा।
 - इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लिये लाइसेंस जारी किये जा सकेंगे।
 - इंदौर और भोपाल में माइक्रो बेवरेज खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन पर्यावरण, वदियुत वभिगों और नगर नगिम का अनापत्त प्रमाण-पत्र जरूरी होगा।
 - मदरि आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
 - होम बार लाइसेंस दिये जा सकेगा, जिसके लिये 50 हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। इसकी पात्रता उन्हीं को होगी, जिनकी सकल व्यक्तिगत आय न्यूनतम एक करोड़ रुपए हो।